

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक /10 /2021

फा0 क्र0 3881 /21-ब(एक) /2021- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311/19, दिनांक 05.04. 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी-अ

अनु.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"4.	ग्वालियर	श्रीमती शिवानी शर्मा, चतुर्थ सिविल न्यायाधीश(वरिष्ठ खण्ड) ।"।

NOTIFICATION

F.N0. 3881/XXI-B(1) /2021- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311 /2019 dated 05.04.2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17.05.2019, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

//2//

TABLE

S.No.	District	Proposed Names of Judicial Officers (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"4.	Gwalior	Smt. Shivani Sharma, IV th Civil Judge (Senior Division).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अरूण कुमार सिंह)
(सीनि.) सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0 क्र0 3881 /21-ब(एक) /2021,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11/10/2021

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक बी/5850/II-4-1/2010, दिनांक 21.09.2021 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग